न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही (राज.)
बइजलास पीठासीन अधिकारी हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.पत्र संख्या 74 / 2025
GCMS No. 2025/

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मोतीसिंह पुत्र चिमनसिंहजी जाति राजपूत निवासी डोडुआ तहसील व जिला सिरोही		1. बाबुलाल पुत्र रूपाजी जाति माली निवासी डोडुआ 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील व जिला सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री हिमांशु राठौड़।
2– अप्रार्थी 01 की ओर से पुष्पेन्द्र चौधरी।
3– स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार(नायब तहसीलदार)।

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत

निर्णय

दिनांक 29.09.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.काश्त.अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध वास्ते खातेदारी कृषि भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत इस न्यायालय में दिनांक 23.05.2025 को पेश किया जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा ग्राम डोडुआ पटवार हल्का डोडुआ भू.अभि.नि. क्षेत्र पाडीव तहसील व जिला सिरोही में आई हुई है जो जमाबंदी संवत 2071–2074 के अनुसार खाता संख्या नया 466 पुराना 433 खसरा संख्या क्रमशः 1450, 1453, 1874, 1880, 1882, 588 रकबा क्रमशः 1.2900, 0.1400, 0.6800, 0.3200, 05600, 0.0300 हेक्टेयर किस्म बारानी–2 है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा संख्या 1450 व 1453 की वर्णित आराजी के पूर्वी दिशा सरहद लगता खसरा संख्या 1449 व खसरा संख्या 1448 की वर्णित आराजी आई हुई है जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी इन्द्राज है एवं उक्त आराजी से लगता उत्तरी दिशा की ओर गै.मु. रास्ता खसरा संख्या 923 दर्ज है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में आने जाने तथा मवेशी, ट्रेक्टर, बैलगाडी इत्यादि लाने ले जाने के लिए राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। वर्णित खसरा संख्या 1450 व 1453 की आराजी पर आने जाने हेतु तथा मवेशी, ट्रेक्टर, बेलगाडी इत्यादि लाने ले जाने के लिए पिछले कई वर्षों से पुश्तैनी काल से खसरा संख्या 923 किस्म गै.मु. आम रास्ता 1448 व 1449 के सरहद लगता नाले के किनारे–किनारे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 1450 व

1453 के आराजी पुश्तैनी काल से पूर्व खातेदार के उक्त भाग को रास्ते के रूप में निरन्तर व निर्बाध रूप से उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है। उक्त रास्ते की आराजी को संलग्न नक्शे में लाल स्याही से डोटेड (...) कर दर्शाया गया है। उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता विकल्प नहीं है। प्रार्थी द्वारा रास्ते का उपयोग किया जा रहा है उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे में तरमीम व इन्द्राज नहीं होने से प्रार्थी को खातेदारी भूमि में आवागमन करने व काश्त करने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि आराजी में जाने में रूकावट पैदा होती है जिससे प्रार्थी खसरा संख्या 1450 व 1453 की वर्णित आराजी में आने जाने व ट्रेक्टर, मवेशी तथा बैलगाड़ी हेतु रास्ता 20 फिट चौड़ाई में लाल स्याही डोटेड (...) A to B भाग तक लम्बाई में रास्ता चाहता है तथा उक्त भाग को रास्ता घोषित कर उसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। उक्त रास्ते के जरिये प्रार्थी अपनी आराजी पर ट्रेक्टर, बैलगाडी, पशुओं को भी आसानी उक्त रास्ता कायम किये जाने से अप्रार्थी की कृषि भूमि को भी कोई नुकसान नहीं होगा। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु रास्ते की सख्त आवश्यकता है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर मौजा ग्राम डोडुआ पटवार हल्का डोडुआ, भू–अभि. नि. क्षैत्र पाडीव तहसील व जिला सिरोही के खसरा संख्या क्रमशः 1450, 1453, 1874, 1880, 1882, 588 की आराजी में आने जाने हेतु व ट्रेक्टर, मवेशी, बैलगाडी लाने ले जाने हेतु संलग्न नक्शे में लाल स्याही डोटेड (.) A to B भाग को जो अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी के खसरा संख्या 1448 व 1449 में दर्शाया गया है जो करीब 20 फिट चौडाई में एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी से सार्वजनिक आम रास्ता खसरा संख्या 923 तक रास्ता घोषित कर उसका राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे में इन्द्राज व तरमीम करने के आदेश प्रदान करावें तथा तथा अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थी के न्यायोचित हो उसे भी दिलाये जाने के आदेश करना फरमावें।

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 के साथ जमाबंदी की प्रतिया, नक्शा ट्रेसं का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्ट्यां आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 02.06.2025 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने से शा.मि. किये गये । अप्रार्थीगण जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित में समय दिया गया।

उक्त प्रकरण में इस न्यायालय में सुनवाई पेशी दिनांक 06–08–2025. को अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट ओर से क्रमांक 696 दिनांक 05.08.2025 जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया तथा जवाब की प्रति उभयपक्षकारान को उपलब्ध करवाई गई ।

अप्रार्थी संख्या तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में कथन किया कि जमाबन्दी के खाता सं 466 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम–डोडूआ में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1450 व 1453 में जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। अप्रार्थी बाबूलाल की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1448 व 1449 में मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी मोतीसिंह अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1450 व 1453 में जाने हेतु वर्तमान में खसरा नंबर 1511 बिलानाम भूमि व खसरा नंबर 1501 नाला का उपयोग कर रहा है। प्रार्थी मोतीसिंह द्वारा बताया कि बारिश के मौसम नाले से आवागमन में परेशानी होती हैं। प्रार्थी मोतीसिंह द्वारा खसरा नंबर 1448 व 1449 में से चाहे गए रास्ते को संलग्न नक्शे में हरी स्याही से दर्शाया गया है। जिसका विवरण खसरा संख्या 1448 में लम्बाई 134 मीटर × चौडाई 6 मीटर = 804 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0804 हेक्टेयर व 1449 लम्बाई 40 मीटर × चौडाई 6 मीटर = 240 वर्ग मीटर अर्थात् 0.240 हेक्टेयर। रास्ते के अंतर्गत आने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल 1044 वर्ग मीटर अर्थात् 0.1044 हेक्टेयर होता है। ग्राम डोडुआ की डीएलसी दर रूपए 1,00,5000 /– के हिसाब से प्रस्तावित भूमि 0.1044 हैक्टेयर भूमि की कीमत रूपए 1,04,922/– होती है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध है जो प्रार्थी के पडौसी बिलानाम खसरा संख्या 1501 में से होते हुये खसरा संख्या 1511 से होते हुये विधमान है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्व के खातेदार काफी लम्बे समय से करता आ रहा है। प्रार्थी के आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की आराजी मे से कोई रास्ता नही रहा है न ही मौके पर ऐसे कोई आलमात है। प्रार्थी अपनी आराजी में आने जाने हेतु तथा मवेशी, ट्रेक्टर, बेलगाडी इत्यादी लाने ले जाने के लिये पिछले कई वर्षों से पुश्तनी काल से खसरा संख्या 923 1448 व 1449 के सरहद लगता नाले के किनारे किनारे प्रार्थी अपनी कृषि भुमि खसरा संख्या 1450 व 1453 के आराजी में से पुश्तैनी काल से पुर्व खातेदार से उक्त भाग को रास्ते के रूप में निरन्तर व निर्बाध रूप से उपयोग व उपभोग करता आ रहा है सर्वथा मनगढत, काल्पनिक व असत्य होने से अप्रार्थी संख्या 01 को पुर्ण रूप से अस्वीकार्य है।

प्रार्थी के पडौसी खसरा संख्या 1501 में से होते हुये खसरा संख्या 1511 से होते हुये विघमान है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्व के खातेदार काफी लम्बे समय से करता आ रहे है साथ ही प्रार्थी के आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी में से कोई रास्ता विधमान नही है। प्रार्थी द्वारा मौके की वर्तमान स्थिति के विपरित मौके पर विद्यमान रास्ता होने के तथ्य को छुपाते हुए प्रार्थना–पत्र के साथ जो नक्शा पेश किया है जो वास्तविक मौका स्थिती के विपरित न्यायालय के समक्ष झुठा आवेदन व शपथ पत्र पेश किया है जो काननुन एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है जिस पर प्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना भी न्यायोचित है। अप्रार्थी संख्या 01 के स्वयं एवं उसके के परिवार का भरण पोषण एक मात्र जरीया उक्त आराजी से होने वाली कृषि उपज से ही है तथा

प्रार्थी जिसे पूर्व में आवागमन का रास्ता (पडौसी बिलानाम खसरा संख्या 1501 में से होते हुये खसरा संख्या 1511 से) जो प्रार्थी की भुमि से सडक पर काफी निकटतम दुरी पर विद्यमान है, को छोड विधिविरूद्ध अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भुमि जहां से प्रार्थी का कभी भी कोई आवगमन नही रहा है जो सम्पुर्ण आराजी काश्तकारी योग्य है तथा अप्रार्थी संख्या 01 की आजिविका का एक मात्र जरीया है मे से रास्ता दिया जाना कदापी न्यायौचित नही है।

अतः प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार फरमाया जाकर खारिज करना व अप्रार्थी संख्या 01 को उक्त प्रार्थना पत्र हर्जा खर्चा दिलवाने का आदेश देना फरमावे ।

विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली वास्ते वकील उभय पक्षकारान और पैरोकार सरकार की प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अंतिम बहस दिनांक 03.09.2025 को रखी गई। जिस पर वकील उभय पक्षकारान व अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने न्यायालय में हाजिर होकर उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम डोडुआ के खसरा संख्या क्रमशः 1450, 1453, 1874, 1880, 1882, 588 की आराजी में आने जाने हेतु व ट्रेक्टर, मवेशी, बैलगाडी लाने ले जाने हेतु संलग्न नक्शे में लाल स्याही डोटेड (.) A to B भाग को जो अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी के खसरा संख्या 1448 व 1449 में दर्शाया गया है जो करीब 20 फिट चौडाई में एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी से सार्वजनिक आम रास्ता खसरा संख्या 923 तक रास्ता घोषित कर उसका राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे में इन्द्राज व तरमीम करने के आदेश प्रदान करावें। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में आने जाने तथा मवेशी, ट्रेक्टर, बैलगाडी इत्यादि लाने ले जाने के लिए राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु रास्ते की सख्त आवश्यकता है।

वहीं वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है की प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध है जो प्रार्थी के पडौसी बिलानाम खसरा संख्या 1501 में से होते हुये खसरा संख्या 1511 से होते हुये विधमान है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्व के खातेदार काफी लम्बे समय से करता आ रहा है। प्रार्थी के आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की आराजी मे से कोई रास्ता नही रहा है न ही मौके पर ऐसे कोई आलमात है। प्रार्थी के पडौसी खसरा संख्या 1501 में से होते हुये खसरा संख्या 1511 से होते हुये विघमान है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्व के खातेदार काफी लम्बे समय से करता आ रहे है प्रार्थी द्वारा मौके की वर्तमान स्थिति के विपरित मौके पर विद्यमान रास्ता होने के तथ्य को छुपाते हुये प्रार्थना के साथ जो नक्शा पेश किया है, वास्तविक मौका स्थिती के विपरित न्यायालय के समक्ष

झुठा आवेदन व शपथ पत्र पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 01 के स्वयं एवं उसके के परिवार का भरण पोषण एक मात्र जरीया उक्त आराजी से होने वाली कृषि उपज से ही है तथा प्रार्थी जिसे पूर्व में आवागमन का रास्ता (पडौसी बिलानाम खसरा संख्या 1501 में से होते हुये खसरा संख्या 1511 से) जो प्रार्थी की भुमि से सडक पर काफी निकटतम दुरी पर विद्यमान है, को छोड विधिविरूद्ध अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भुमि जहां से प्रार्थी का कभी भी कोई आवगमन नही रहा है, जो सम्पुर्ण आराजी काश्तकारी योग्य है तथा अप्रार्थी संख्या 01 की आजिविका का एक मात्र जरीया है मे से रास्ता दिया जाना कदापी न्यायोचित नही है।

श्रीमान के न्यायालय में पूर्व में भी जल संसाधन विभाग की अनुमति के बाद ऐसे प्राकृतिक बहावों पर रास्ते दिए गए है। इस प्रकरण में भी प्रार्थी को ऐसे रास्ते की अनुमति दी जाए।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी अधिवक्ता के बहस के प्रत्युत्तर बहस में कहा कि जिस रास्ते का प्रार्थीगण ने उल्लेख किया है वहां बीच में बडा नाला है जिसे पार कर जाना बडा मुश्किल होता है। बारिश में तो रास्ता बंद सा हो जाता है। अप्रार्थीगण ने इस न्यायालय में जिस आदेश का हवाला दिया है उसकी परिस्थितियां अलग है। उसमें प्रार्थीगण ने ऐसे प्राकृतिक बहाव के नाले पर जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर चलने का कहा है। हो सकता है कि उस केस में प्रार्थीगण सक्षम हो जो नाले पर प्राकृतिक बहाव प्रभावित किए बिना जल संसाधन से अनापत्ति प्राप्त कर रास्ता की संरचना दे लेकिन मेरे प्रकरण में प्रार्थीगण की यह क्षमता नही है कि वह एक चौडे नाले पर कोई संरचना बना सके अतः प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खातेदारी से रास्ता अनुमत करावें।

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर वकील उभयपक्षकारान तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस पर गंम्भीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मुल पत्रावली मय प्रार्थना पत्र व जवाब स्टेट तहसीलदार सिरोही व संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व संलग्न नक्शा ट्रेस का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। संपूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया गया कि अप्रार्थी स्टेट की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार तहसीलदार सिरोही ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है तथा पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस में तहसीलदार सिरोही के जवाब अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में खातेदारी भूमि में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है। अतः प्रार्थी को उसके खातेदारी आराजी में से होकर आने जाने के लिए मवेशी टेक्ट्रर बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिए आत्यांतिक आवश्यकता होने से एव वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता सिद्ध नहीं होने से तथा तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में भी रास्ता मौके एव रेकर्ड मे नही होना बताया है इस कारण तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाना उचित समझते है एवं जिस केस में नाले पर रास्ते की अनुमति देने का कथन अप्रार्थीगण ने किया है। वह इस केस की

प्रकृति से समानता नही रखता है। उसमें प्रार्थीगण ने उसी जगह पर रास्ता मांगा एवं नाले पर आवागमन हेतु प्रार्थी ने स्वयं ने विभाग की अनापत्ति प्राप्त कर प्राकृतिक बहाव को प्रभावित किए बिना आवागमन का कहा था। इस केस में प्रार्थी को नाले पर ऐसे किसी बहाव प्रभावित किए बिना संरचना निर्माण कर आवागमन करने हेतु मजबूर नही किया जा सकता है।

साथ ही तहसीलदार सिरोही के प्रस्ताव में 6 मीटर रास्ते का उल्लेख किया है। यह न्यायालय समुचित समझता है कि एक ट्रेक्टर के लिए 10 फीट का रास्ता पर्याप्त होता है। इससे अप्रार्थीगण की भूमि का भी अनावश्यक रास्ते मे खराबा नही होगा।

उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एव तहसीलदार सिरोही के प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी को उनकी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम डोडुआ के खसरा संख्या क्रमशः 1450, 1453, 1874, 1880, 1882, 588 में आने–जाने हेतु मौजा डोडूआ में अप्रार्थी संख्या 1 खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 1448 में लम्बाई 134 मीटर × चौडाई 3 मीटर = 402 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0402 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1449 लम्बाई 40 मीटर × चौडाई 3 मीटर = 120 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0120 हेक्टेयर का मार्ग दिया जाना उचित होने से नियमानुसार रास्ता के लिये स्वीकृत की जाती है। ***इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत राजस्थान सरकार के श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप 6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र कमाक प. (52) राज–6/4 दिनांक 14.06.2013 बाबत राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध मे दिये गये प्रावधानो अनुसार उक्त रास्ते की भूमि स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है (क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरो या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के के विस्तार या चौडा करने के मामले में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और (ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधारित भूमि के तुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी।***

तहसीलदार सिरोही द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशि प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने पर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को उपरोक्तानुसार **मौजा डोडूआ में अप्रार्थी संख्या 1 खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 1448 में लम्बाई 134**

मीटर × चौडाई 3 मीटर = 402 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0402 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1449 लम्बाई 40 मीटर × चौडाई 3 मीटर = 120 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0120 हेक्टेयर का मार्ग दिया जाना उचित है। प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि की कीमत राशि अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्तानुसार भुगतान करने पर भूमिधारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव अनुसार रास्ते की भूमि कम कर राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मूमकीन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते में दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)

(हरि सिंह देवल)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 29-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)